म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक/निर्माण/भूमि/संरचना/आवंटन/2016–17/1873 भोपाल,दिनांक 13/06/16

परिपत्र

विषयः–प्रदेश की मंडी समितियों, उपमण्डी तथा फल–सब्जी मंडियों में निजी व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा स्वयं के व्यय पर बिल्ट एंड ट्रांसफर (बी.ओ.टी) आधार पर स्थापना एवं संचालन करने बावत् दिशा निर्देश ।

सन्दर्भः– कार्यालयीन परिपत्र क्रमांक/निर्माण/भूमि/संरचना/आवंटन/2015–16/1572–73 दिनांक 3.5.2016

प्रदेश की मंडी समितियों , उपमण्डी तथा फल–सब्जी मंडियों में निजी व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा स्वयं के व्यय पर बिल्ट, आपरेट एंड ट्रांसफर (बी.ओ.टी) आधार परस्थापना एवं संचालन करने बाबत कार्यालयीन परिपत्र क्रमांक/निर्माण/भूमि/ संरचना/आवंटन /2015–16/1572–73 दिनांक 3.5.2016 से जारी दिशा निर्देशों के परिपत्र में **कोल्ड–स्टोरेज** की स्थापना एवं संचालन हेतु निम्नानुसार प्रावधानों को सहपठित करते हुये कार्यवाही सुनिश्चित की जावें :–

(1) मण्डी समिति अथवा उसके उपमण्डी/फल–सब्जी प्रांगण में कोल्ड–स्टोरेज की स्थापना उपरान्त आवंटिती संचालक द्वारा उपयोगकर्ताओं से ली जाने वाली अधिकतम दर संचालन के पूर्व, आवंटिती संचालक से प्राप्त कर स्थानीय परिस्थितियों तथा आस–पास के क्षेत्रों में प्रचलित दरों के आधार पर अधिकतम दर के निर्धारण हेतु निम्नानुसार समिति गठित की जाती है :–

1. कलेक्टर अथवा उनके द्वारा नामांकित अधिकारी जो डिप्टी कलेक्टर की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो।
2. संयुक्त संचालक/उप संचालक, मण्डी बोर्ड आंचलिक कार्यालय।
3. उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग (संबंधित जिले का)
4. उप संचालक, उद्यानिकी विभाग (संबंधित जिले का)
5. सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति (ये संयोजक सदस्य होगें)

(2) स्थापित किये गये कोल्ड–स्टोरेज के उपयोग की अधिकतम दर प्रथमतः 03 वर्ष के लिए निर्धारित होगी। मण्डी सचिव का दायित्व होगा कि वह 03 वर्ष की निर्धारित दर के समाप्ति के 03 माह पूर्व नवीन अधिकतम दर के निर्धारण की कार्यवाही सुनिश्चित करेगा, ताकि कोल्ड–स्टोरेज के संचालन का कार्य बाधित न हो।

(3) आवंटिती संचालक निर्धारित दर से अधिक दर किसी भी स्थिति में उपयोगकर्ता कृषकों अथवा मण्डी के अनुज्ञप्तिदारी व्यापारियों से वसूल नही करेगा। इसका उल्लंघन करते पाये जाने पर सचिव कृषि उपज मण्डी समिति लिखित सूचना देकर अनुबंध को निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, परन्तु ऐसे निरस्त आदेश पारित किये जाने के पूर्व आवंटिती संचालक को सुनवाई का युक्ति–युक्त अवसर दिया जावेगा।

(4) आवंटिती संचालक को कोल्ड–स्टोरेज की स्थापना का कार्य Bureau of Indian Standard (**BIS**) द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार करना होगा।

अन्य प्रावधान सन्दर्भ परिपत्र क./निर्माण/भूमि/संरचना/आवंटन/2015–16/1572–73 दिनांक 3.5.2016 के अनुसार ही लागू रहेगें।

संलग्नः– यथोपरि।

(अरुण पाण्डेय)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी सह आयुक्त
सह प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

CE-38---53

क्रमांक / निर्माण / भूमि / संरचना / आवंटन / 2016–17 / 1875   भोपाल,दिनांक 13/06/16

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय कृषि मंत्री एवं अध्यक्ष, मंडी बोर्ड, भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल
3. कलेक्टर, जिला–.. ।
4. अपर संचालक, (समस्त) मंडी बोर्ड, मुख्यालय भोपाल ।
5. अपर संचालक (समन्वय) मुख्यालय भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि संयुक्त संचालक / उप संचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालयों की मासिक समीक्षा बैठक के एजेण्डा में बी0ओ0टी0 कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के विषय को सम्मिलित करें।
6. मुख्य अभियंता, मंडी बोर्ड, मुख्यालय भोपाल ।
7. अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री / निर्माण शाखा मंडी बोर्ड, मुख्यालय भोपाल ।
8. संयुक्त संचालक, (समस्त) मंडी बोर्ड, मुख्यालय भोपाल ।
9. उप संचालक, (समस्त)मंडी बोर्ड, मुख्यालय भोपाल ।
10. संयुक्त संचालक / उप संचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय, (समस्त) की ओर भेजते हुये निर्देशित किया जाता है कि मण्डी समितियों में बी0ओ0टी0 कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के विषय को उनके स्तर पर की जाने वाली मासिक समीक्षा के निर्धारित एजेण्डा में सम्मिलित करें।
11. कार्यपालन यंत्री, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग, समस्त की ओर पालनार्थ
12. सचिव, कृषि उपज मंडी समिति, (समस्त) ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी सह आयुक्त
सह प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

CE-38---54